निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1943 (श0)
(सं0 पटना 22) पटना, वृहस्पतिवार, 13 जनवरी 2022

विधि विभाग

अधिसूचना
13 जनवरी 2022

सं० एल०जी०–01–01/2022–137/लेजः।–भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2022 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

(बिहार अध्यादेश संख्या 01, 2022)

fcgkj uxjikfydk ¼la'kks/ku½ v/;kns'k] 2022

भारत–गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन किये जाने के लिए अध्यादेश।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है, और बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए अब, भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।–

(1) यह अध्यादेश बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&23 dk la'kks/kuA& उक्त अधिनियम की धारा 23 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

'' 23 ¼1½ & मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद द्वारा उसी नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचित होगा, जो धारा 24 के अधीन गोपनीयता की शपथ लेने के तुरत बाद अपना कार्य ग्रहण करेगा।

23 ¼2½ – मृत्यु, पद त्याग, बर्खास्तगी या अन्यथा कारणों से मुख्य पार्षद या उपमुख्य पार्षद पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन होगा और इस प्रकार निर्वाचित मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा।

/kkjk 23¼3½– यदि सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र मुख्य पार्षद निर्वाचित पार्षदों में से किसी को नामित करेगा और ऐसा नामित प्रत्येक पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा।''

3- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&25 dk la'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 25 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

^^ 25¼1½ मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद अपने पद से सरकार को संबोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा त्याग पत्र दे सकेगा।

25¼2½ उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्याग पत्र, ऐसा त्याग पत्र दिये जाने के सात दिनों के बाद प्रभावी हो जायेगा बशर्त्ते कि उक्त सात दिनों के भीतर यथास्थिति सरकार को संबोधित अपने स्वलिखित त्याग पत्र वह वापस न ले लें।

25¼3½ इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार के विचार में यदि कोई मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जान–बुझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इन्कार या उपेक्षा करने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार को दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो सरकार ऐसे मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को उसके पद से हटा सकेगा।

परन्तु धारा–44 के अधीन लोकप्रहरी की नियुक्ति के बाद सरकार, इस उपधारा के अधीन ऐसे लोकप्रहरी की अनुशंसा के आधार पर ही आदेश पारित कर सकेगी।

25¼4½ इस प्रकार हटाया गया मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद ऐसी नगरपालिका में उसकी शेष पदावधि के दौरान मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

पटना,
दिनांक 12 जनवरी 2022

फागू चौहान,
बिहार राज्यपाल।

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना, **फागू चौहान,**
दिनांक 12 जनवरी 2022 **बिहार राज्यपाल।**

विधि विभाग

अधिसूचना
13 जनवरी 2022

सं० एल०जी०–01–01/2022–138/लेजः।–बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2022 को प्रख्यापित बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2022) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

(Bihar Ordinance No. 01, 2022)

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2022

Promulgated by the Governor of Bihar in the seventy second year of the Republic of India

AN

ORDINANCE

To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11,2007).

WHEREAS the Legislature of the State of Bihar is not in session, and the Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Ordinance may be called the Bihar Municipal (Amendment) Ordinance, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. ***Amendment of Section-23 of Bihar Act 11, 2007.—***Section 23 of the said Act shall be substituted by following:-

"**23 (1)** A Chief Councillor and Deputy Chief Councillor of the Municipality shall be directly elected by the voters enrolled in the voter's list of that Municipality under the direction, control and supervision of the State Election Commission, who shall assume office forthwith after taking the oath of secrecy under section 24.

23 (2) In the case of any casual vacancy in the office of the Chief Councillor or Deputy Chief councillor caused by death, resignation, removal or otherwise, election to fill up the vacancy to be held such procedure as may be prescribed and the Chief Councillor or the Deputy Chief Councillor so elected shall continue in office for the unexpired term of his predecessor.

23(3) If any casual vacancy occurs in the office of the Member of the Empowered Standing Committee, the Chief Councillor shall as soon as may, after the occurrence of such vacancy, nominate one of the elected members of the Municipality to fill the vacancy and every Councillor

so nominated shall continue in office for the unexpired term of his predecessor."

3. ***Amendment of Section-25 of Bihar Act 11, 2007.—****Section 25 of the said Act shall be substituted by following:-*

"25 (1) The Chief Councillor and Deputy Chief Councillor may resign his office by writing under his hand addressed to the Government.

25(2) Every resignation under sub-section (1) shall take effect on the expiry of seven days from the date of such resignation, unless within the said period of seven days he withdraws such resignation by writing under his hand addressed to the Government.

25(3) Without prejudice to the provisions under this Act, if, in opinion of the Government having territorial jurisdiction over the Municipality the Chief Councillor/Deputy Chief Councillor absents himself without sufficient cause for more than three consecutive meetings or sittings or wilfully omits or refuses to perform his duties and functions under this Act, or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties or is absconding being an accused in a criminal case for more than six months, the Government may, after giving the Chief Councillor/Deputy Chief Councillor a reasonable opportunity for explanation, by order, remove such Chief Councillor/Deputy Chief Councillor from office.

Provided that after appointment of Lok Prahari, under section 44, the Government, may pass order under this sub-section only on the basis of recommendation of such Lok Prahari.

25(4) The Chief Councillor/Deputy Chief Councillor so removed shall not be eligible for re-election as Chief Councillor/Deputy Chief Councillor during the remaining term of office of such Municipality."

Patna
Dated 12thJanuary 2022

Phagu Chauhan
Governor of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 22-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in